राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 6(2) साप्र/3/81 जयपुर, दिनांकः 2 ? JUN 2018

–:आज्ञाः–

राज्य कर्मचारियों को दी जा रही वर्दी की पात्रता संबंधी आदेश जो भिन्न–भिन्न समय में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किए गए थे, के संदर्भ में इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.06.2015 जिसमें वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता अनुज्ञेय किया गया था, की पात्रता में संशोधन करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन वर्दी भत्ता अनुज्ञेय होगाः–

1. संबंधित विभागों को वर्दी हेतु जिस मद में प्रावधान किया है, उसी मद से वर्दी भत्ते की राशि का व्यय किया जायेगा तथा सभी विभाग इस संबंध में Object Head-35 वर्दी तथा अन्य सुविधायें के अन्तर्गत उपयुक्त प्रावधान कर व्यय सुनिश्चित करायेंगे।
2. संबंधित विभाग द्वारा वर्दी भत्ते का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार संबंधित बजट मद में राशि प्राप्त होते ही यथाशीघ्र किया जावेगा।
3. वित्तीय वर्ष में कर्मचारी की 6 माह से अधिक की निलम्बन अवधि होने पर वर्दी भत्ता देय नहीं होगा।
4. ऐसे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष के दौरान स्वेच्छिक सेवानिवृत होते हैं अथवा पदच्यूत/बर्खास्त कर्मचारी को सेवा में पुनः बहाल होने पर भी सेवा से पृथक अवधि की सेवा को सम्मिलित करते हुए वर्दी भत्ता देय नहीं होगा।
5. परीवीक्षा काल (Probation Period) के दौरान वर्दी भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगा जिनको वर्दी पहनना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।
6. किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण अवकाश के दौरान वर्दी भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।
7. वर्दी हेतु संबंधित कार्मिक की उस वित्तीय वर्ष में कम से कम 6 माह की स्थाई कर्मचारी के रूप मे सेवा अवधि का पूर्ण होना अनिवार्य है।

वर्दी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अन्य दिशा–निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आईडी सं. 101803011 दिनांक 14.06.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,
Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–</u>

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल/मा. मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव(निजी सचिव), मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्षगण (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर सहित) राजस्थान।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय जयपुर।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. सचिवालय के समस्त प्रकोष्ठ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,
Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com

E:\C B Dhakar Old-\ChandraBhanDhakar\G K Mishra13\Circular2013New.doc